In the News

Publication: **Rajasthan Patrika** | Region : **Delhi** | Date: **03/09/2017** | Page No.: **11**

गारंटेड लाइफ इंश्योरेंस प्लान सुरक्षा के साथ शानदार रिटर्न

आशीष वोहरा, सीईओ,
रिलायन्स निप्पो लाइफ इंश्योरेंस

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

ब्याज दरों हो रही गिरावट से, आपके द्वारा बैंक में जमा रकम पर मिलने वाले रिटर्न में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लंबी अवधि के निवेश के लिए, अल्पकालीन अस्थिरता चिंता की बात नहीं होती। असली खतरा तो बच्चे की पढ़ाई, शादी या सेवानिवृति जैसे लक्ष्यों के लिए आवश्यक राशि जुटाने की होती है। ऐसे अस्थिर समय में, जीवन बीमा का गारंटेड प्लान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसलिए, यह समय ग्राहकों के लिए निवेश के ऐसे विकल्पों को समझने और उनका आंकलन करने के लिए बेहतर है जिसमें बाजार की परिस्थितियों और ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तन से संबंध न रखते हुए, गारंटीयुक्त रिटर्न देते हैं। घटते ब्याज दर के इस दौर में एफडी की तुलना में, गारंटीयुक्त रिटर्न वाले जीवन बीमा उत्पाद टैक्स बचत के आधार पर बेहतर विकल्प हैं।

उदाहरण से ऐसे समझें

आप 20 वर्षों में 70 लाख रुपए के जादुई आंकड़े को प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं तो आपको 6 फीसदी की ब्याज दर पर हर महीने 15,000 रुपए की बचत करनी होगी। यदि ब्याज दर 4 फीसदी हो तो 55 लाख रुपए ही बचा पाएंगे। 15 लाख रुपए की कमी से आपके बच्चे की उच्च शिक्षा प्रभावित हो सकती हैं।

ब्याज दर घटने से बड़ा नुकसान

आरबीआई द्वारा हाल ही में घोषित अतिरिक्त 0.25 फीसदी की कटौती से रिवर्स रेपो रेट 6 फीसदी के सात वर्षों के निचले स्तर पर आ गई है। आने वाले समय में और कटौती की उम्मीद है। अर्थशास्त्रियों ने और अधिक कटौती तथा अधिक घटे प्रतिफलों की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में ब्याज दर 8.75 फीसदी से घटकर 6 फीसदी होने से 10 लाख रुपए पर अर्जित वार्षिक ब्याज का अंतर मात्र एक वर्ष में लगभग 30,000 रुपए होगा। 20 से 25 वर्षों में, ब्याज दर में गिरावट से आपकी बचत योजना बहुत अधिक प्रभावित होगी।

लाइफ कवर के साथ टैक्स छूट का फायदा

एक गारंटीयुक्त धन वापसी वाला बीमा उत्पाद आपको प्रारंभिक टैक्स बचत, फिक्स रिटर्न और जीवन सुरक्षा देता है। तुलना करने पर, ज्यादातर बैंकों के एफडी पर टैक्स छूट नहीं मिलता हैं और असामयिक मृत्यु होने पर जोखिम रक्षा भी नहीं देते हैं। वहीं, जीवन बीमा लिए हुए व्यक्ति की मृत्यु पालिसी की अवधि के दौरान यानी परिप ता की तारीख से पहले हो जाती है तो पालिसी के तहत देय राशि नामिति को दावा करने पर दी जाती है। आंकड़ों के अनुसार, जीवन बीमा कंपनियों द्वारा अदा किए जाने वाले मृत्यु के दावे 2016-17 में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक थे।